

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(7)वित्त/राजस्व/17

जयपुर, दिनांक: 27 FEB 2018

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा (सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2018)	--
2.	श्री घन्सू राम जाटव	अजा
3.	श्री विजय कुमार वर्मा	--

उपरोक्त अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se seniority) यथावत रहेगी।

पदोन्नत अधिकारियों में से सेवारत अधिकारी पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।


पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव